(प्रपत्र-1)

सहायता अनुदान के लिए प्रपत्र

1 धार्मिक संस्थान/स्मारक का पूरा नाम व पता:

धार्मिक संस्थान/स्मारक
गांव ग्राम पंचायत
डाकघर तहसील
उपमण्डल जिला
पिन कोड

2 धार्मिक संस्थान/स्मारक सार्वजनिक सम्पदा है : हां / नहीं ☐ / ☐

3 यदि (2) का उत्तर हां में है तो कौन सी संस्था अथवा ट्रस्ट चला रहा है :

4 धार्मिक स्थल की आयु : वर्ष या निर्माण वर्ष

5 धार्मिक स्थल के चारों कोणों के चार छायाचित्र संलग्न हैं या नहीं ?

6 मरम्मत कार्य का संक्षिप्त विवरण जिसके लिए अनुदान अपेक्षित है :

7 पूर्वोक्त मरम्मत कार्य पर होने वाले कुल अनुमानित व्यय की राशि :

8 धार्मिक स्थल का ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक विवरण :

9 राजस्व रिकॉर्ड संलग्न है या नहीं ?

10 अपेक्षित अनुदान की राशि जिसकी सरकार से आशा है तथा शेष राशि संस्था किस प्रकार वहन करेगी कृपया ब्यौरा दें :

11 क्या इस कार्य के लिए किसी अन्य स्रोत से भी सहायता प्राप्त की गई है (यदि हां तो ब्यौरा दें अन्यथा हल्फनामा दें):

12 कोई अन्य सूचना, यदि कोई हो :

मैं सत्यनिष्ठा से घोषणा करता हूं कि पूर्वोक्त मेरे प्रतिज्ञान और विश्वास के अनुसार सही है ।

स्थान
तिथि.

अनुदानग्राही के हस्ताक्षर
(नाम)
पदनाम
पता
दूरभाष संख्या, कोड सहित

जिला भाषा अधिकारी/संग्रहालयाध्यक्ष/उपमण्डल अधिकारी (ना0)/उपायुक्त की सिफारिश :

प्रपत्र-2

भाषा एवं संस्कृति विभाग,
हिमाचल प्रदेश-शिमला.171009

प्रदेश के मन्दिरों/मठों तथा विहारों का सर्वेक्षण

1 मन्दिर/मठ/विहार/संस्थान का नाम:

2 इसके भवन का निर्माण किसने तथा कब करवाया था :

3 मन्दिर की निर्माण शैली: पहाड़ी / सतलुज / पैटरूफ / शिखर / गुफा / गोम्पा / टावरनुमा / पैगोडा / गुम्बद

4 मन्दिर के प्रधान देवता:

5 मन्दिर की अनुमानित वार्षिक आय:

6 मन्दिर की कुल अनुमानित सम्पत्ति:

(1) चल सम्पत्ति: आभूषण ____ लगभग: ____ रूपये

नकदी ____ कुल ____ रूपये

(2) अचल मकान

भूमि

7 मन्दिर की व्यवस्था का ब्यौरा:
(पुजारी/पारम्परिक समिति/अन्य समिति--कृपया विवरण दें)

8 मन्दिर में मूर्तियों की संख्या व विवरण दें :

9 मन्दिर के प्रांगण में आयोजित होने वाले उत्सव तथा मेलों का विवरण दें :

10 मन्दिर में कब-कब पूजा होती है ?

11 मन्दिर कहां स्थित है :

गांव ____ डाकघर ____ पिनकोड नम्बर ____

पंचायत ____ उपतहसील ____

तहसील ____ उपमण्डल ____

निकटवर्ती सड़क ____ सड़क से दूरी ____

निकटवर्ती विश्रामगृह ____

विश्रामगृह किस विभाग का है: लोक निर्माण विभाग/सिंचाई विभाग/वन विभाग/ बिजली बोर्ड / पंचायत /कोई अन्य (कृपया नाम लिखें) ____

--विश्रामगृह में ठहरने के लिए किसे आवेदन करना है : (कृपया अधिकारी व कार्यालय का पता तथा टैलीफोन नम्बर लिखें) ____

--क्या मन्दिर में फोन लगा है यदि है तो कृपया कोड सहित फोन नम्बर लिखें: ____

--यदि फोन नहीं लगा है तो किसी ऐसे जिम्मेवार व्यक्ति का नाम तथा फोन नम्बर लिखें जिनसे कि इस मन्दिर के बारे में सम्पर्क किया जा सके: ____

--इस स्थान के लिए जिला / उपमण्डल / तहसील / ब्लॉक मुख्यालय से उपलब्ध बस सेवाओं के रूट का नाम व समय लिखें : ____

12 मन्दिर का इतिहास जो कि कम से कम दो पृष्ठ का हो, लिखें :

प्रपत्र-3

प्रमाणपत्र
(यदि धार्मिक संस्थान/स्मारक आबादी देह में बना हुआ हो)

प्रमाणित किया जाता है कि [ ] (देवता का नाम) का मन्दिर, मौजा [ ] परगना [ ] तहसील [ ] जिला [ ] के खसरा नम्बर [ ] में बना हुआ था जो कि आबादी देह का नम्बर है ।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त मन्दिर किसी की निजी सम्पत्ति न हो कर सार्वजनिक सम्पत्ति है ।

स्थानः [ ]
दिनांकः [ ]

हस्ताक्षर(पटवारी) [ ]
मोहर

प्रपत्र-4

(परियोजना-12)

प्रमाणपत्र

प्रमाणित किया जाता है कि [ ] (देवता का नाम) का संस्थान/स्मारक (मंदिर), मौजा [ ] परगना [ ] तहसील [ ] जिला.... [ ] के खसरा नम्बर [ ] में बना हुआ था जो कि दिनांकः [ ] को जल चुका है / बरसात में गिर चुका है / भूस्खलन से गिर चुका है / [ ] [ ] (प्राकृतिक आपदा का नाम) से गिर चुका है ।

[ ]

स्थानः [ ]

हस्ताक्षर (पटवारी) मोहर सहित

प्रतिहस्ताक्षर

तहसीलदार/उपमण्डलाधिकारी/जिलाधीश

प्रपत्र-5

(कृपया मन्दिर के किसी एक फोटो के पीछे ये प्रमाणपत्र दर्ज करवांए)

प्रमाणित किया जाता है कि यह फोटो _____ मन्दिर का है जो कि खसरा नम्बर _____ मौजा _____ परगना _____ तहसील _____ जिला में स्थित था ।

हस्ताक्षर (पटवारी) _____
मोहर

Form-6

Justification Certificate for Retaining/Breast wall

It is certified that Retaining wall(s)/breast wall (s) as shown in drawings is/are necessary for the protection of ____ --temple situated at village ____ Gram Panchayat ____ ____ Tehsil ____ District ____

Place: ____ Assistant Engineer,

Date: ____ Subdivision(With Seal)

(प्रपत्र-7)

दूसरी किस्त जारी करने के लिए प्रमाण-पत्र

1 प्रमाणित किया जाता है कि मैं इससे संतुष्ट हूं कि जिन नियमों के अनुसार [ ] [ ] धार्मिक संस्थान/स्मारक को रूपये [ ] का सहायतानुदान स्वीकृत हुआ है उसके अनुसार इन्होंने अपना आधा कार्य पूर्ण कर लिया है ।

2 संस्था द्वारा कृत कार्य प्राक्कलन में अनुमोदित मदों के आधार पर हुआ है ।

3 मैंने स्वयम् देखा है ।

4 मेरा निवेदन है कि उसी के शेष बचे कार्य के लिए, इन्हें अनुदान की पहली किस्त, जो कि रूपये [ ] बनती है, को जारी कर दी जाए ।

जिला भाषा अधिकारी/संग्रहालयध्यक्ष
उपमण्डलाधिकारी(ना0)/उपायुक्त
विभागीय कनिष्ठ अभियन्ता/पुरातत्व अभियन्ता

(प्रपत्र-8)

उपयोगिता प्रमाणपत्र का प्रपत्र

कृप्या पत्र संख्या ____ दिनांक ____ राशि ____

प्रमाणित किया जाता है कि ____ मात्र की स्वीकृति सहायतानुदान राशि से वर्ष के दौरान ____ के रूप में इस विभाग के पत्र संख्या ____ तथा हाशिए में दी गई तिथि के अधीन रूपये ____ ____ की राशि हिमाचल ____ के प्रयोजन/उद्देश्य के लिए उपयोग की गई जिसके लिए यह स्वीकृत की गई थी तथा शेष ____ रूपये की एक वर्ष के अन्त तक उपयोग न की गई राशि का सरकार को पत्र ____ दिनांकः द्वारा अभर्यापण किया गया है जो कि आगामी ____ आगामी वर्ष ____ में दी जाने वाली सहायतानुदान में समायोजित की जाएगी ।

स्थान ____

तिथि ____

हस्ताक्षर ____

संस्थाध्यक्ष ____
(नाम व पूरा पता)

प्रमाणित किया जाता है कि मैं इससे संतुष्ट हूं कि जिन शर्तों पर सहायतानुदान स्वीकृत किया गया था से पूर्ण की गई हैं/पूर्ण की जा रही हैं तथा धन का वास्तव में उसी उद्देश्य के लिए उपयोग किया गया है जिसके लिए यह स्वीकृत किया गया है ।

जिला भाषा अधिकारी/संग्रहालयध्यक्ष
उपमण्डल अधिकारी(ना0)/उपायुक्त
विभागीय कनिष्ठ अभियन्ता/पुरातत्व अभियन्ता

प्रतिहस्ताक्षरित

आहरण एवं संवितरण अधिकारी निदेशक, भाषा एवं संस्कृति विभाग, हि0प्र0

परियोजना-12

प्राक्कलन **(Estimate)** तैयार करने के लिए मार्ग-निर्देश

1 धार्मिक संस्थान/स्मारक की साइट पर उसके प्लिंथ के अवशेषों (***remains of plinth***) को माप कर तथा उपलब्ध पुराने छायाचित्र के आधार पर उसकी ड्राईंग ***(To Scale)*** तैयार करें और इसमें निम्नलिखित दर्शाएं:

1 Ground & all other Floor Plans
2 Front & Side Elevations
3 One X-Section of temple & Retaining/Boundary wall
4 Site Plan

(छायाचित्र तथा ड्राईंग आपस में शतप्रतिशत मेल खाने चाहिए)

2 प्राक्कलन ***(Estimate)*** चार प्रतियों में होना चाहिए ।

3 ड्राईंग अमोनिया प्रिंटस पर चार प्रतियों में होनी चाहिए ।

4 धार्मिक संस्थान/स्मारक (मन्दिर) को रंग-रोगन करना मान्य नहीं है।

5 धार्मिक संस्थान/स्मारक (मन्दिर) को उसी सामग्री से निर्मित करें जिससे कि मूल भवन बना था । आधुनिक सामग्री का प्रयोग वर्जित हैं । (***original specifications of burnt/ruined structure must be adhered strictly and change of specifications of any kind is not permissible***)

6 उपरोक्त के अतिरिक्त प्राक्कलन में ये मदें ***(Items)*** भी ले सकते हैं:

1 P/L Chakka stone flooring around the temple
2 Boundary wall, in conformity with revenue record.
3 Drainage sytem for rain water

7 प्राक्कलन कम से कम कनिष्ठ अभियन्ता से हस्ताक्षरित होना चाहिए और यदि प्रतिधारण दीवार ***(Retaining wall)*** लगाई जानी हो तो औचित्य प्रमाण पत्र ***(Justification Certificate)*** व प्राक्कलन, सहायक अभियन्ता से हस्ताक्षरित होना चाहिए ।

(परियोजना-12)
(CHECK LIST)
स्मारकों/धार्मिक संस्थानों के प्रकरण प्रस्तुत करने से पूर्व कृपया चैक करें:

1 सहायतानुदान प्रपत्र व सर्वेक्षण प्रपत्र सही ढंग से भरे गए हैं या नहीं इसमें देखें कि:
   1 कोई मद् खाली तो नहीं है ?
   2 प्रपत्र को सक्षम अधिकारी (जिला भाषा अधिकारी / उपमण्डलाधिकारी / जिलाधीश से सिफारिशित / संस्तुत करवांए ।
   3 आवेदक का पूरा नाम व पता दर्ज होना चाहिए ।

2 प्राक्कलन (**Estimate**) :
   1 Abstract of Cost चार प्रतियां
   2 Detail of Measurements चार प्रतियां
   3 Drawings in Ammonia prints चार प्रतियां

3 ये राजस्व दस्तावेज साथ लगाएं :
   1 पर्चा जमाबन्दी
   2 अक्स ततीमा
   3 यदि धार्मिक संस्थान/स्मारक (मंदिर) आबादी में है तो पटवारी से निम्नलिखित प्रमाणपत्र लेकर संलग्न करें । :

प्रमाणपत्र

प्रमाणित किया जाता है कि _____ (देवता का नाम) का संस्थान/स्मारक (मंदिर), मौजा _____ परगना _____ तहसील _____ जिला _____ के खसरा नम्बर _____ में बना हुआ है जो कि आबादी देह का नम्बर है ।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त संस्थान/स्मारक (मंदिर) किसी की निजी सम्पत्ति न हो कर सार्वजनिक सम्पत्ति है ।

4 धार्मिक संस्थान/स्मारक किस प्राकृतिक आपदा से गिरा है इसकी रिपोर्ट अलग प्रपत्र-4 पर भिजवांए ।

5 राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार, यदि संस्थान/स्मारक निजि सम्पत्ति होगा तो अनुदान नहीं दिया जा सकेगा । इसके अतिरिक्त यदि संस्थान का स्वरूप हिमाचली संस्कृति को नहीं दर्शाता होगा तो भी अनुदान नहीं दिया जाएगा ।

6 संस्थान/स्मारक (मंदिर) का जलने/गिरने से पूर्व का कम से कम एक छायाचित्र अवश्य संलग्न करें और इसके पीछे निम्नलिखित प्रमाणपत्र दर्ज करवाएं ।

"प्रमाणित किया जाता है कि यह फोटो _____ धार्मिक संस्थान/स्मारक (मन्दिर) का है जो कि खसरा नम्बर _____ मौजा _____ परगना _____ तहसील _____ जिला _____ में स्थित था और अब जल/गिर चुका है ।

हस्ताक्षर (पटवारी) _____

(मोहर सहित)

---

7 धार्मिक संस्थान/स्मारक (मंदिर) का इतिहास जो कि कम से कम दो पृष्ठ का हो, संलग्न करें ।

प्रकरण भिजवाने के लिए पता:

निदेशक, भाषा एवं संस्कृति विभाग,
संस्कृति भवन, खण्ड-39, एस0डी0ए0 परिसर,
कसुम्पटी, शिमला-171 009

परियोजना-12

पुरातन स्मारकों/धार्मिक संस्थानों के निर्माण कार्य की योजना

(सरकार के पत्र संख्याः भाषा-क(3)10/80, दिनांक 11 अक्तूबर, 1985 द्वारा अनुमोदित)

1 योजना :

भाषा एवं संस्कृति विभाग सहायतानुदान नियम, 1985 के अन्तर्गत जल कर अथवा गिर कर नष्ट हुए धार्मिक संस्थानों/स्मारकों को अनुदान दिये जाने का प्रावधान रखा गया है ।

2 उद्देश्य :

1 कोई भी धार्मिक संस्थान/स्मारक, जो जल कर या गिर कर नष्ट हो गया हो इस स्मारक/धार्मिक संस्थान को उसी वास्तुकला में तैयार करने के लिए अधिकतम 25,000/- रुपये की धन राशि सहायतानुदान के रूप में दी जायेगी ।
2 इस प्रकार नष्ट हुए धार्मिक संस्थान/स्मारक का पुराना छायाचित्र होना जरूरी है ताकि वास्तुकला का पता चल सके और उसी प्रकार नया स्मारक/संस्थान बनाया जा सके ।
3 इस प्रकार नष्ट हुआ मंदिर/स्मारक अगर किसी व्यक्ति की निजी सम्पत्ति हो तो उसे सहायतानुदान नहीं दिया जायेगा ।
4 निर्माण कार्य पूरा होने के बाद, किसी प्रकार का अवैध कब्जा रोकने के लिए उसके परिसर में चार दिवारी आदि लगाने के लिए भी धन राशि दी जा सकती है ।

3 प्रक्रिया :

1 सहायतानुदान जिला भाषा अधिकारी की सिफारिश पर दिया जायेगा ।
2 धार्मिक संस्थान/स्मारक के लिए अपेक्षित सहायतानुदान हेतु सम्बंधित उपमण्डलाधिकारी (नागरिक)/जिलाधीश नियमित पत्र पर आवेदन देते हुए तथा मुरम्मत के प्राक्कलन एवं ड्राईंग कम से कम कनिष्ठ अभियंता द्वारा तैयार करवाने के उपरांत भाषा एवं संस्कृति विभाग को भिजवायेंगे ।
3 प्राक्कलन के साथ धार्मिक संस्थान/स्मारक का पुराना छायाचित्र होना जरूरी है ।
4 विभाग के संरक्षक/प्रारूपकार भेजे गये प्रकरणों का निरीक्षण करेंगे ।
5 निदेशक, भाषा एवं संस्कृति की स्वीकृति के पश्चात सहायतानुदान सम्बंधित उपमण्डलाधिकारी/जिलाधीश को दिया जायेगा । ऐसे प्रत्येक मामले की प्रति सम्बंधित जिला भाषा अधिकारी तथा सहायक अभियंता (पुरातत्व) को संदर्भित होगी ।

4 अनुदान की राशि :

1 अनुदान की राशि अनुमानित व्यय के 50 प्रतिशत या अधिक से अधिक 25,000/- रुपये दी जायेगी । बाकी की राशि धार्मिक संस्थान/स्मारक समिति को वहन करनी होगी ।
2 विशेष कारणों से, जिसका लिखित रूप में रिकार्ड में रखा जायेगा । अनुदान की राशि 75 प्रतिशत तक भी बढ़ाई जा सकती है ।
3 अनुदान दो किस्तों में दिया जायेगा ।
(क) 50 प्रतिशत मांग स्वीकृति होने पर ।
(ख) 50 प्रतिशत आधा कार्य पूर्ण होने पर ।
(ग) जनजातीय क्षेत्रों तथा पिछड़े क्षेत्रों में अनुदान की राशि एक मुश्त दी जायेगी । इन क्षेत्रों के लिए अनुदान शतप्रतिशत भी दिया जा सकता है । ऐसा करने के लिए निदेशक, भाषा एवं संस्कृति सक्षम होंगे ।
4 अनुदान की राशि एक वर्ष के भीतर व्यय करनी होगी अन्यथा भाषा एवं संस्कृति विभाग इस राशि को ब्याज सहित एक मुश्त में वापिस लेने का हकदार होगा ।
5 निदेशक, भाषा एवं संस्कृति इस अवधि को बढ़ाने घटाने में सक्षम होंगे ।

5 प्रमाण पत्र :

आधा निर्माण कार्य पूर्ण हो जाने के बाद इस तथ्य का एक प्रमाणपत्र विभाग को भेजा जायेगा जो उपमण्डलाधिकारी/जिलाधीश/जिला भाषा अधिकारी तथा विभाग के सहायक अभियन्ता द्वारा सत्यापित होगा ।

6 निरीक्षण :

1 निर्माण कार्य को समय-समय पर भाषा एवं संस्कृति के अधिकारियों को देखने की खुली छूट होगी । यह अधिकारी पुरातत्व की महता को देखते हुए, चल रहे कार्य में परिवर्तन भी मंदिर समितियों को बतायेंगे जो मंदिर कमेटियों द्वारा मान्य होगा ।
2 अगर समिति निर्माण कार्य पुरानी वास्तुकला के आधार पर नहीं करती है तो सारी राशि ब्याज सहित वापिस ली जा सकेगी ।